E-WASTE MANAGEMENT

Why in the News?

A proposed framework by the Centre for regulating e-waste in India has threatened the informal sector.

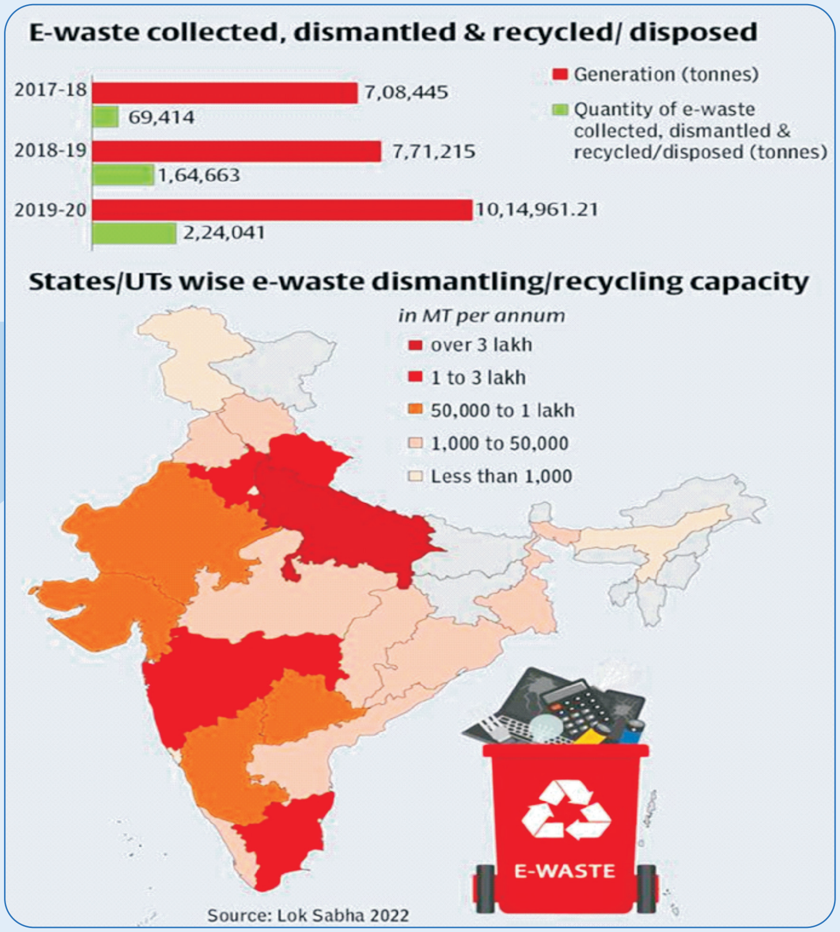

Key Points

What is e-waste

- Electronic waste (e-waste), that is, waste arising from end-of-life electronic products such as computers, mobile phones and other discarded electronic appliances.
- It includes their components, consumables, parts and spares.

Electronic-Waste in India

- According to a **2020 report by the Central Pollution Control Board,** India generated **10,14,961** tonnes of e-waste in FY 2019-2020 – up 32% from FY 2018-2019.
  - Only **22.7 per cent** of the e-waste was collected, dismantled, and recycled or disposed off.

E-waste Management Rules, 2016

- The Central Government under the Environment (Protection) Act, 1986, notified e-waste management rules in 2016.
- It notified **21 types of electrical and electronic equipment (EEE)** e-waste.
- It introduced a system of **Extended Producer Responsibility (EPR).**
- It extends the responsibility to producers to manage a system of e-waste collection, storage, transportation, and dismantling and recycling through Extended Producer Responsibility (EPR).
- The rules also promote and encourage the establishment of an efficient e-waste collection mechanism.
- Most companies however did not maintain an in-house unit in charge of recycling and this gave rise to a network of government-registered companies, called **Producer Responsibility Organisations (PRO).**
- PRO acted as an intermediary between manufacturers of electronic goods and formal recycling units.

E-waste (Management) Amendment Rules, 2018

- It further formalizes the sectors by channelizing the e-waste generated towards authorized dismantlers and recyclers.
- Under these rules, a **PRO shall apply to the Central Pollution Control Board** for registration to undertake the activities prescribed for Producer Responsibility Organisations.

New Draft Notification

- In May 2022, the Ministry issued a draft notification that **does away with the PROs and dismantlers.**
- The number of categories of e-waste has been **increased from 21 to 95.**
- It **shifted responsibility** for controlling e-waste away from producers of goods to recyclers.
- Introduced a system of **tradable certificates similar to carbon credits.**

Benefits

- It would improve accountability because it would track the material that went in for recycling with the output claimed by a recycler.
- It will incentivise them to invest in a dependable supply chain that will collect and recycle waste.

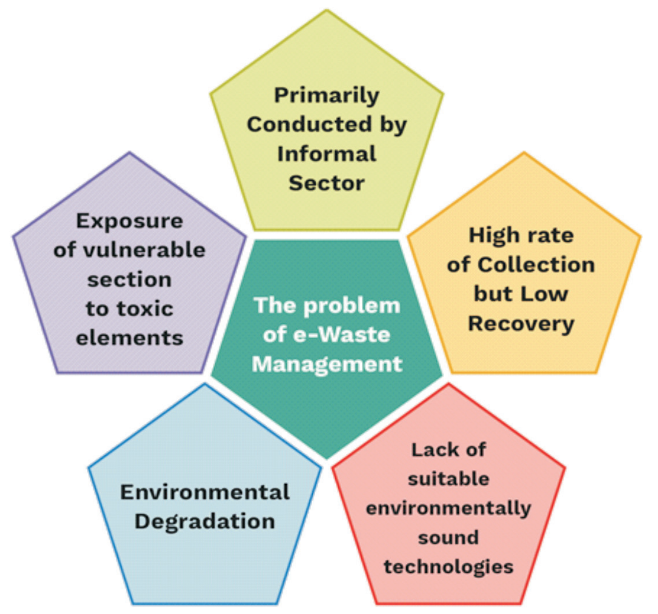

Criticism

- **Job Loss:** 25,000 to 30,000 people were employed in the PROs.
- **Lack of accountability:** The proposed rules shifted responsibility for controlling e-waste away from producers of goods to recyclers.
- Investment loss for established PROs.

Conclusion

- The draft e-waste Rules propose a few positive changes, including expanding the definition of e-waste, more clearly specifying the penalties for violation of rules, etc.
- The changes it proposes require careful deliberation with all the relevant stakeholders before the Rules are finalised.

ई-वेस्ट प्रबंधन

खबरों में क्यों?

भारत में ई-कचरे को विनियमित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रस्तावित ढांचे ने अनौपचारिक क्षेत्र को खतरे में डाल दिया है।

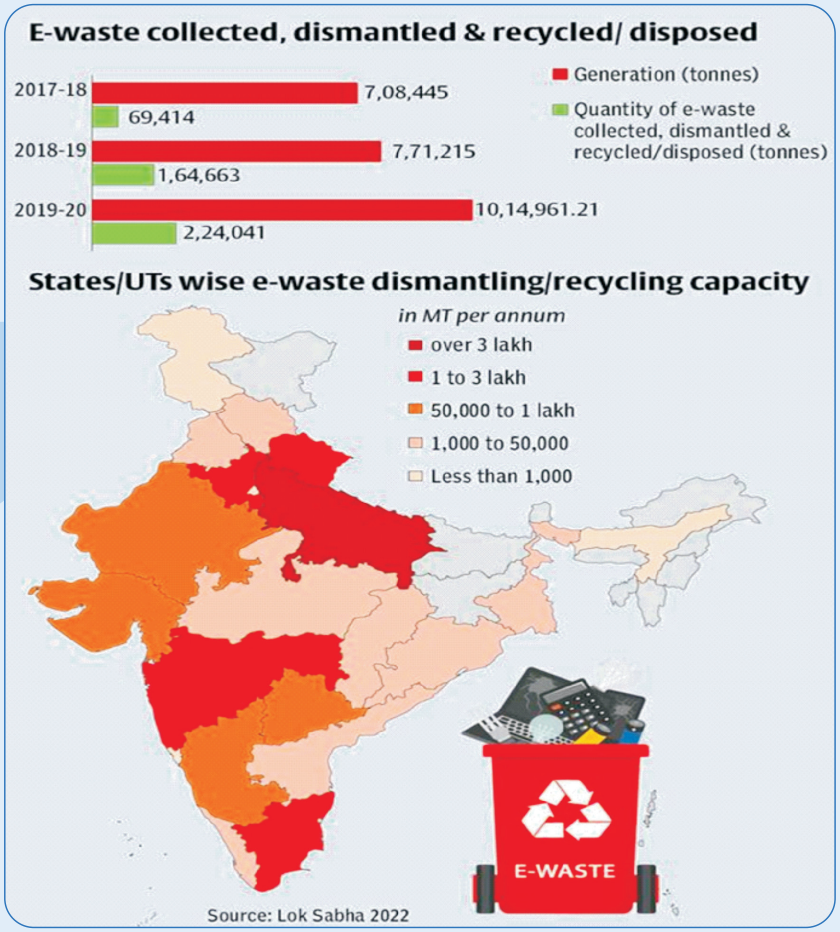

प्रमुख बिंदु

क्या है ई-कचरा

- इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा), जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और उपयोग में न आने वाले इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से उत्पन्न अपशिष्ट।
- इसमें उनके घटक, उपभोग्य वस्तुएं, पुर्जे और अतिरिक्त (स्पेयर) पुर्जे शामिल हैं।

unacademy.com | Download the Unacademy app
Give your feedback here: Link

unacademy

भारत में इलेक्ट्रॉनिक-अपशिष्ट

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की **2020 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने वित्त वर्ष 2019-2020 में वित्त वर्ष 2018-2019 से 32% अधिक 10,14,961** टन ई-कचरा उत्पन्न किया।
    - ई-कचरे का केवल **22.7 प्रतिशत को** ही एकत्र, नष्ट, और पुनर्नवीनीकरण या निपटाया गया।

ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत केंद्र सरकार ने 2016 में ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया।
- इसमें 21 प्रकार के विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण (ईईई) ई-कचरे को अधिसूचित किया गया है।
- इसके विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व (ईपीआर-एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सबिलिटी)की एक प्रणाली की शुरुआत की गई।
- यह उत्पादकों को ईपीआर के माध्यम से ई-कचरा संग्रह, भंडारण, परिवहन, और निराकरण और पुनर्चक्रण की एक प्रणाली का प्रबंधन करने की जिम्मेदारी देता है।
- यह नियम एक कुशल ई-कचरा संग्रह तंत्र की स्थापना को भी बढ़ावा देते हैं।
- हालांकि अधिकांश कंपनियों ने रीसाइक्लिंग के लिए इन-हाउस यूनिट का रखरखाव नहीं किया और इसने सरकार द्वारा पंजीकृत कंपनियों के एक नेटवर्क को जन्म दिया, जिसे प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गनाइजेशन (PRO) कहा जाता है।
- PRO ने इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्माताओं और औपचारिक रीसाइक्लिंग इकाइयों के बीच एक मध्यस्थ के रूप में काम किया।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) संशोधन नियम, 2018

- यह अधिकृत विघटनकर्ताओं और पुनर्चक्रणकर्ताओं के लिए उत्पन्न ई-कचरे को चैनलाइज़ करके क्षेत्रों को और औपचारिक बनाता है।
- इन नियमों के तहत, एक पीआरओ निर्माता उत्तरदायित्व संगठनों के लिए निर्धारित गतिविधियों को करने के लिए पंजीकरण के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को आवेदन करेगा।

नया मसौदा अधिसूचना

- मई 2022 में, मंत्रालय ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की जो पीआरओ और विध्वंसक को हटा देती है।
- ई-कचरे की श्रेणियों की संख्या 21 से बढ़ाकर 95 कर दी गई है।
- इसने ई-कचरे को माल के उत्पादकों से दूर पुनर्चक्रण करने वालों को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी स्थानांतरित कर दी।
- कार्बन क्रेडिट के समान व्यापार योग्य प्रमाणपत्रों की एक प्रणाली की शुरुआत की।

लाभ

- यह जवाबदेही में सुधार करेगा क्योंकि यह उस सामग्री को ट्रैक करेगा जो एक रिसाइकलर द्वारा दावा किए गए आउटपुट के साथ रीसाइक्लिंग के लिए गई थी।
- यह उन्हें एक भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो कचरे को इकट्ठा और रीसायकल करेगी।

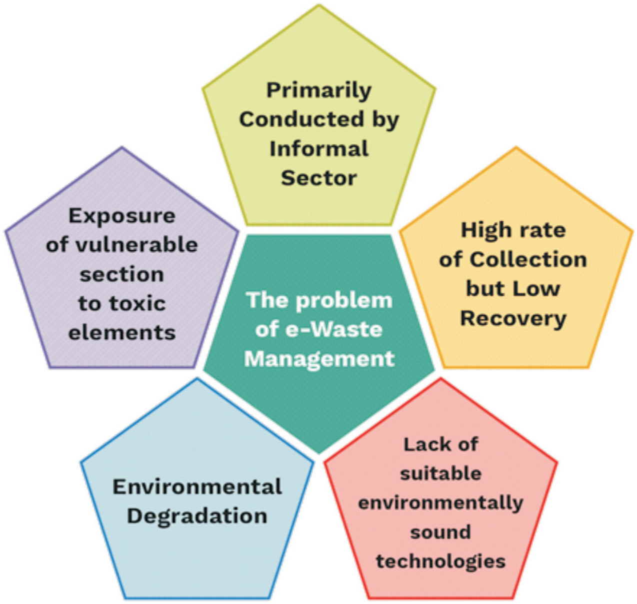

आलोचना

- **नौकरी छूटना:** पीआरओ में 25,000 से 30,000 लोग कार्यरत थे।
- **जवाबदेही का अभाव:** प्रस्तावित नियमों ने ई-कचरे को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी को माल के उत्पादकों से हटाकर पुनर्चक्रण करने वालों पर स्थानांतरित कर दिया।
- स्थापित पीआरओ के लिए निवेश हानि।

निष्कर्ष

- ई-कचरा नियमों का मसौदा कुछ सकारात्मक बदलावों का प्रस्ताव करता है, जिसमें ई-कचरे की परिभाषा का विस्तार करना, नियमों के उल्लंघन के लिए दंड को अधिक स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना आदि शामिल हैं।
- इसके द्वारा प्रस्तावित परिवर्तनों के लिए नियमों को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित हितधारकों के साथ सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।